



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082021-229057
CG-DL-E-16082021-229057

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3081]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2021/श्रावण 25, 1943

No. 3081]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2021/SHRAVANA 25, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3329(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना अमरापुरम और गूती मंडल, अनंतपुरमु जिला से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री के. मधुसूदन राव, सक्षम प्राधिकारी, हासन - चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, हाउस नं. 6-2-425-2, एस.वी.निवास, नारायणा कान्सेप्ट स्कूल के पीछे कोवुर नगर एक्सटेंसन, अनंतपुरमु, आंध्रा प्रदेश-515001 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल : अमारापुरम		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अमारापुरम	१. अमारापुरम	372/2	00	02
2			269/2	00	06
3			263/1	00	03
4			253/3	00	22
5			179/2A	00	01
6			180/9	00	01
7			189/3	00	03
8			66	00	03
9			185/1	00	01
10			269/4	00	59
11	अमारापुरम	२. थम्माडेहल्ली	209/2	00	02
12			229/7	00	01
13			228/1	00	01
14			233/3	00	03
15			162/3	00	02
16			156	00	07
17			154	00	05
18			29/1	00	03
19			30/3	00	01
20			39/2	00	04
21			40/2	00	01
मंडल : गूती		जिला : अनंतपुरमु		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गूती	ऊटाकल्लु	258/C	00	10
2			129/B	00	03
3			76	00	09

4			69/A	00	09
5			60	00	05
6			37/A	00	01

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th August, 2021

S.O. 3329(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Amarapuram & Gooty Mandals of Ananthapuramu District of Andhra Pradesh State, and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri. K.Madhusudhana Rao, The Competent Authority & Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited H.No. 6-2-425-2, S.V. Nivas, Behind Narayana Concept School, Kovur Nagar Extension, Ananthapuramu, AP-515 001.

SCHEDULE

Mandal: Amarapuram		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
SL. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Amarapuram	1. Amarapuram	372/2	00	02
2			269/2	00	06
3			263/1	00	03
4			253/3	00	22
5			179/2A	00	01
6			180/9	00	01
7			189/3	00	03
8			66	00	03
9			185/1	00	01
10			269/4	00	59

11	Amarapuram	2. Thammadehalli	209/2	00	02
12			229/7	00	01
13			228/1	00	01
14			233/3	00	03
15			162/3	00	02
16			156	00	07
17			154	00	05
18			29/1	00	03
19			30/3	00	01
20			39/2	00	04
21			40/2	00	01
Mandal: Gooty		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
SL. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gooty	Utakallu	258/C	00	10
2			129/B	00	03
3			76	00	09
4			69/A	00	09
5			60	00	05
6			37/A	00	01

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3330(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना गुडर और कर्नूल मंडल, कर्नूल जिला से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री के. मधुसूदन राव, सक्षम प्राधिकारी, हासन-चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, हाउस नं. 6-2-425-2, एस.वी. निवास, नारायणा कान्सेप्ट स्कूल के पीछे कोवुर नगर एक्सटेंशन, अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश-515001 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल : गुडूर		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गुडूर	बुदीडापाडु	128/A	00	03
2			127/1	00	02
3			126/1	00	04
4			117/1A	00	18
5			145/2	00	02
6			147/2	00	04
7			184	00	07
8			187/2	00	05
9			188	00	06
10			201	00	17
11	गुडूर	कुरुवानागलापुरम	15/1A3A	00	02
12			15/1A1-A2	00	03
13			8/3	00	03
14			9/3	00	82
मंडल : कर्नूल		जिला : कर्नूल		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कर्नूल	गोपालासिंगावरम	189/3	00	05
2			193	00	17
3			210(Nala)	00	01
4			309	00	02
5			308	00	03
6			469/C	00	01
7			479	00	08

[फा. सं. आर-11025(15)/10/2019-ओ.आर-आई/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

S.O. 3330(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Gudur & Kurnool Mandals of Kurnool District of Andhra Pradesh State, and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri. K.Madhusudhana Rao, The Competent Authority & Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited H.No..6-2-425-2, S.V.Nivas, Behind Narayana Concept School, Kovur Nagar Extension, Ananthapuramu, AP-515 001

SCHEDULE

Mandal: Gudur		Dist: Kurnool		State: Andhra Pradesh	
SL. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gudur	Budidapadu	128/A	00	03
2			127/1	00	02
3			126/1	00	04
4			117/1A	00	18
5			145/2	00	02
6			147/2	00	04
7			184	00	07
8			187/2	00	05
9			188	00	06
10			201	00	17
11	Gudur	Kuruva Nagalapuram	15/1A3A	00	02
12			15/1A1-A2	00	03
13			8/3	00	03
14			9/3	00	82

Mandal: Kurnool		Dist: Kurnool		State: Andhra Pradesh	
SL. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kurnool	G. Singavaram	189/3	00	05
2			193	00	17
3			210(Nala)	00	01
4			309	00	02
5			308	00	03
6			469/C	00	01
7			479	00	08

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.